# न्यायालय:--न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

<u>दांडिक प्रकरण कमांक0-147/12</u> <u>संस्थापित दिनांक 16/03/12</u> फाईलिंग नम्बर 233504000372012

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द, थाना आमला जिला बैतूल (म०प्र०)

\_\_\_\_अभियोजन

### -: विरूद्ध :-

सिराजखान पिता सफीखान, उम्र 30 वर्ष, जाति मुसलमान, व्यवसाय मजदूरी, नि0 भीमनगर बोङ्खी, तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

\_\_\_\_अभियुक्त

## <u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक—16 / 02 / 2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी)(बी) के तहत् अभियोग है कि आपने दिनांक 16/03/12 को 09:40 बजे गुरूनानक स्कूल के सामने भीमनगर आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा, जो कि म0प्र0 राज्य की अधिसूचना कं0—6312—6552(2) बी (1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंधन किया।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि थाना आमला के नगर निरीक्षक को दौराने भ्रमण के मुखबिर द्वारा सूचना मिली की बोड़खी में गुरूनानक स्कूल सामने बोड़खी का सिराजखान अवैध रूप से हाथ में एक लोहे की धारदार छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है इस सूचना पर हमराह स्टाफ आरक्षक 232 राजेन्द्र पाण्डेय एवं सै0 मनोहर कं. 33 के मौके पर पहुँचा, जहां पर सिराज खान नि0 भीमनगर आमला का उसके हाथ में एक बड़ी छूरी धारदार लोहे के लिए मिला, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा एवं उसके कब्जे से एक लोहे की छुरी धारदार जिसमें लोहे की मुट्ठ लगी जिसकी लंबाई 4 इंच एवं फन की लंबाई 8 इंच कुल लम्बाई 12 इंच है मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन लखन एवं चिरोंजीराव को 16/03/12 के 8:45 बजे विधिवत जप्त किया आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
- 3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 2 है लेखबद्ध किया गया। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 111/12 में 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक

16.03.12 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—1 तैयार किया गया है। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया है। दिनांक 16.03.12 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदेशपी—3 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहां कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

### 5— :न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

"क्या आपने दिनांक 16/03/12 को 09:40 बजे गुरूनानक स्कूल के सामने भीमनगर आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा, जो कि म0प्र0 राज्य की अधिसूचना कं0—6312—6552(2) बी (1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया?"

### —ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

अभियोजन साक्षी आर०के० दुबे (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना स्थल पर आरोपी सिराजखान ने भीमनगर आमला का उसके हाथ में लोहे की छुरी लिये मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। जिसके कब्जे से लोहे की छुरी धारदार जप्त कर जप्ती बनाई थी जो जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। किन्तु इसके द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की धारदार छुरी की लंबाई व चौड़ाई क्या थी वह अपनी साक्ष्य में नहीं बताया है। क्योंकि सभी लोहे की छ्रियाँ प्रतिबंधित आकार की नहीं होती है। साथ ही प्रकरण में रवानगी एवं वापसी भी प्रस्तृत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि घटना स्थल से अभियुकत के कब्जे से धारदार छुरी की जप्ती बनाई गई हों। साथ ही प्रकरण में जप्ती के स्वतंत्र साक्षी लखन (अ०सा02) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि उक्त हस्ताक्षर उसने किए तब पुलिस ने कोई लिखापढ़ी नहीं की थी कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी चिरोंजीलाल (अ०सा०३) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में व्यक्त किया है कि कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। अर्थात् स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अभियुक्त से धारदार लोहे की छुरी की जप्ती नहीं बनाई जो कि अभियुक्त के कब्जे से लोहें की छुरी की जप्ती किया जाना संदेह उत्पन्न करता है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त सिराज खान के कब्जे से लोहे की धारदार छुरी की जप्ती बनाई गई।

7— अभियोजन साक्षी लखन (अ०सा०२) एवं अभियोजन साक्षी चिरोंजीलाल (अ०सा०३) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

- 8— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं0 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।
- 9— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। इस प्रकार अभियुक्त सिराज खान को आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी)(बी) के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किए गए। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 11— प्रकरण में जप्त शुदा एक लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल म०प्र०